उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1

संख्या-146/2019/1294/81- 1- 2019- 30(5)/81

लखनऊ दिनांक 28 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री रमेश चन्द्र-।। भा0व0से0 (उ0प्र01986) सम्प्रति सेवानिवृत्ति को शासन के विज्ञप्ति /नियुक्ति संख्या-834/14-1-2010-19/93-2010 (से0ग्रे0) दिनांक 01-04-2010 के द्वारा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रू0 37400-67000 ग्रेड पे रू0 8700/- में दिनांक 01-08-2008 से पदोन्नति/नियुक्ति प्रदान की गयी है ।

2- श्री रमेश चन्द्र-।। के प दिनांक 17-07-2018 में उनके द्वारा कनिष्ठ की तिथि से सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य कराये जाने का अनुरोध किया गया है । श्री रमेश चन्द्र-।। के उक्त पत्र दिनांक 17-07-2018 में किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपराख्न्त सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य कराये जाने विषयक उक्त शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-834/14-1-2010-19/93-2010 (से0ग्रे0) दिनांक 01-04-2010 को एतदद्वारा संशोधित करते हुए चयन समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 05-08-2003 में श्री के0एम0 ठाकुर की वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 19-05-2003 से हुई रिक्ति के सापेक्ष श्री रमेश चन्द्र-।। को दिनांक 19-05-2003 से सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान रू0 14300-400-18300) में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव

संख्याः-146/2019/1294(1)/81-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन जोरबाग रोड अलीगंज नई दिल्ली।

2- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/केन्द्रीय भवन अलीगंज, लखनऊ।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष ,उ0प्र0 लखनऊ।

5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ ।

6- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीता चैधरी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in